

**समाहरणालय, मुंगेर**  
(जिला विकास शाखा)  
**आदेश**

कब्रिस्तान घेराबन्दी योजनान्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर के पत्रांक-1548 दिनांक-28.10.2014 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल, मुंगेर के पत्रांक 153/अनु० दिनांक-04.02.2017 के द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निम्न तालिका में उल्लेखित योजनाओं का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सरकार के प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग बिहार पटना के पत्रांक 9811 दिनांक 07.11.2012 के द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में तालिका में उल्लेखित योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व कार्यपालक अभियंता, LAEO को सौंपा जाता है। कब्रिस्तान घेराबन्दी मद में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, मुंगेर को गृह विशेष विभाग से प्राप्त आवंटन में से उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा।

कार्यकारी एजेन्सी द्वारा योजना का क्रियान्वयन सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा। स्वीकृत कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना का मूल अभिलेख प्राक्कलन सहित कार्यकारी एजेन्सी को वापस किया जाता है। योजना का विवरण निम्नवत है:-

क्र०	स्वीकृत योजना(कब्रिस्तान)का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5
1	ज्मालपुर नगर परिषद के सीमेंट्री रोड में अवस्थित कब्रिस्तान नयागाँव के घेराबन्दी कार्य	कार्य०अभि०,स्था०क्षे० अभि०सं०,कार्य०प्र०,मुंगेर।	33,51,200/-	33,51,200/-
		कुल	33,51,200/-	33,51,200/-

**मो० तैतीस लाख एकावन हजार दो सौ रुपये मात्र।**

**शर्त :-**

- 1-संबंधित कार्यकारी एजेंसी को आदेश दिया जाता है कि प्राक्कलन के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य करायेगें।
- 2-योजना का कार्यान्वयन 03(तीन)माह के अन्दर निश्चित रूप से पूर्ण करायेगें तथा विहित प्रपत्र में पूर्णता प्रमाण-पत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगें। किसी भी परिस्थिति में कार्य अवधि का विस्तार मान्य नहीं होगा।
- 3-कार्य के प्रारम्भ, अन्त तथा बीच-बीच में कब्रिस्तानों का फोटोग्राफ लेंगे तथा प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 2री तारीख तक अधोहस्ताक्षरी को भेजेंगे।
- 4-कार्य स्थल पर योजनाओं का साईन बोर्ड लगायेगें।
- 5-योजना क्रियान्वयन के पूर्व कार्यकारी एजेंसी योजना स्थल का निरीक्षण कर आश्वस्त हो लेंगे कि इस योजना में विगत पाँच वर्षों से किसी विभाग/मद द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। यदि कार्य स्थल पर किसी प्रकार का कार्य पूर्व से किया हुआ पाया जाय, तो कार्य आरम्भ करने से पूर्व इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
- 6-कार्य की गुणवत्ता की सारी जिम्मेवारी संबंधित कार्यकारी एजेंसी की होगी।
- 7-योजना का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण संबंधी कार्य अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- 8 -किसी भी योजना में निजी जमीन पर कार्य नहीं होना चाहिए,यदि किसी समय यह पता चलता है कि कोई योजना किसी ब्यक्ति विशेष कि निजी जमीन पर कार्यान्वित की जा रही है तो इसकी सारी जबाबदेही कार्यान्वयन एजेन्सी की होगी।
- 9-कब्रिस्तान घेराबन्दी मद में उपलब्ध करायी गयी राशि को व्यय किसी अन्य मद में नहीं करेगें तथा व्यय के उपरान्त कब्रिस्तान-वार, विपत्र-वार, डी० सी. विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगें, ताकि प्रतिहस्ताक्षरित कर डी० सी. विपत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजा जा सके।
- 10-राशि व्यय के उपरान्त कब्रिस्तानवार उपयोगिता प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगें।

